	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 22, बुधवार, *शाके* 1941–नवम्बर 13, 2019	
	Kartika 22 Wednesday, Saka 1941–November 13, 2019	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 11, 2019

संख्या प.17(14)सह/2019:-राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 67 के स्पष्टीकरण (।।।) (ढ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन' के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोजन एतद्द्वारा सम्मिलित किये जाते हैं:-

1. सौर ऊर्जा उपकरण हेतु ऋण।
2. पवन चक्की और विद्युत उत्पादन हेतु ऋण।
3. स्कूल, भवन एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु ऋण।
4. वर्मी कंपोस्ट, एग्री क्लीनिक हेतु ऋण।
5. पर्यटन सेवाओं के विकास एवं अस्पताल ,नर्सिंग होम/ पैथोलॉजी प्रयोगशाला के लिए ऋण।
6. सड़क परिवहन/यात्री परिवहन वाहनों के लिए ऋण।
7. औषधीय पौधों के लिए ऋण।

साथ ही इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.09.2019 के क्रम संख्या 20, 22 एवं 38 पर वर्णित उद्देश्यों में से 'ऋणी' शब्द को विलोपित किया जाता है।

यह अधिसूचना इसके राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी।

नरेश पाल गंगवार,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।